मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *99

22.11.2019 को उत्तर के लिए

एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

***99. श्री दयाकर पसुनूरी :**
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को एकल प्रयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अभियान प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्लास्टिकों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन से विभिन्न जन-जागरूकता अभियान शुरु किए गए हैं;

(ग) अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है तथा राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों तथा ऐसे अभियानों के लिए कार्यरत संस्थाओं तथा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए विगत में कोई कानून बनाया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड.) क्या प्लास्टिक उद्योग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कर लाभ तथा निर्यात योजनाओं की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध' के संबंध में शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए श्री दयाकर पसुनूरी और डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 99 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) भारतीय अर्थव्यवस्था में आई क्रांति के साथ उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई है। इस विकास में सहायक विभिन्न कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक फास्ट-मूविंग कन्ज़्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेक्टर द्वारा प्लास्टिक के उपयोग में हो रही वृद्धि है। प्लास्टिक सर्वाधिक टिकाऊ, मजबूत, कम प्रतिक्रियात्मक सामग्री के रूप में उभरा है जो बहुत हल्का भी है। प्लास्टिक की विशेषता यह है कि इसकी कच्ची सामग्री बहुत सस्ती होती है और प्लास्टिक निर्मित पण्य पदार्थों को बनाना बहुत सरल होता है। इन सभी कारकों से उद्योगों के लिए प्लास्टिक सर्वाधिक विश्वसनीय पैकेजिंग सामग्री है। इसके अतिरिक्त विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और बढ़े उपभोक्तावाद के साथ प्लास्टिक ने जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए जीवनशैली के सभी पहलुओं में प्रवेश कर लिया है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि अधिकांश निर्मित प्लास्टिक को केवल एक बार उपयोग करने के पश्चात फेंक देने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक, जिसे सामान्य तौर पर पण्यों की पैकेजिंग, लाने-ले-जाने या संवितरण के लिए प्रयोग किया जाता है और इनमें वे मदें शामिल होती हैं, जिन्हें फेंकने से पहले केवल एक बार उपयोग करने की मंशा होती है, को आसानी से समझने के लिए एकल प्रयोग प्लास्टिक कहा जा सकता है।

उपभोक्ताओं द्वारा इसकी मांग और बढ़ते उत्पादन तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां पर देश को एकल प्रयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

एकल प्रयोग प्लास्टिक के प्रबंधन से संबद्ध उच्च पर्यावरणीय लागतों, विशेष रूप से समुद्री पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण का सामना करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरंभ की गई कार्रवाइयों को संपूरित करने हेतु एक निर्णायक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर विचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक एकल प्रयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध रीति से समाप्त करने के लिए भारत की शपथ की घोषणा की है।

जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुस्पष्ट कहा गया है, यह मंत्रालय प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 6 आर (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, रिकवर, रीडिज़ाइन और रीमैनुफैक्चर) के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में तथा प्लास्टिक के पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत और हरित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय ने तदनन्तर एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए कार्रवाइयों के विभिन्न सेट का सुझाव देते हुए "एकल प्रयोग प्लास्टिक संबंधी मानक दिशा-निर्देश" जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से "स्वच्छता ही सेवा" (एसएचएस) नामक तीन-चरणीय अभियान शुरू किया गया था जो दीवाली अर्थात 27 अक्तूबर, 2019 को समाप्त हुआ। इस अभियान में, अन्य बातों के साथ-साथ, फेंके हुए प्लास्टिक संबंधी जागरूकता, सिफारिश, एकत्रण और सुरक्षित निपटान पर बल दिया गया।

इस अभियान के अंतर्गत सभी हितधारक अर्थात आम जनता, छात्र, उद्योग, सरकारें और स्थानीय निकाय एक साथ आगे आए और उन्होंने घरों, गलियों, उद्यानों, समुद्र-तटों, बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों आदि से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित किया। शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संगठनों और अन्यों ने एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनर्चक्रण हेतु विनिर्दिष्ट स्थलों पर जमा करने की व्यवस्था की। प्रवर्तकों, तकनीकी निकायों और कॉर्पोरेट ने एकत्रित अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु अपनी-अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं। इस अभियान का अंतिम लक्ष्य यह था कि प्लास्टिक अपशिष्ट को भूमि पर या पानी में न डाला जाए बल्कि इसे पर्यावरणीय अनुकूल रीति से पुनर्चक्रित किया जाए। इस अभियान के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य की लगभग प्राप्ति हुई है। उपरोक्त अभियान के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों और राज्यों ने ऐसे अपशिष्ट के एकत्रण और सुरक्षित निपटान हेतु प्रणालियां संस्थापित कर ली हैं।

(घ) सरकार ने देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन तथा प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट के उत्सर्जकों के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्सर्जन को न्यूनतम करना, प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखेरना, स्रोत पर ही अपशिष्ट का पृथक्कृत भंडारण सुनिश्चित करना तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकायों या उनके द्वारा अधिकृत अभिकरणों या पंजीकृत अपशिष्ट बीनने वालों या पंजीकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना अधिदेशित किया गया है। प्लास्टिक के समुचित विनियमन और अनुकूल पुनर्चक्रण हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के साथ सभी प्लास्टिक पुनर्चक्रकों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और निपटान सहित एकत्रण, पृथक्करण और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना स्थापित करने के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उत्तरदायी बनाया गया है। सभी हितधारकों में उनके संबंधित उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी स्थानीय निकायों को अधिदेशित किया गया है।

(ङ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) के कार्यतंत्र के अंतर्गत बाध्यता से छूट प्राप्त करने के लिए विभिन्न लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनका सुझाव था कि 1000 मीट्रिक टन से कम सामग्री या 25 करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे उत्पादकों को, कुल टर्नओवर के आधार पर एकमुश्त शुल्क को छोड़कर, ईपीआर उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए।

****